



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०  
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/3328/2018 (Part-I)/2616

पटना, दिनांक: 23/07/2022

—: आदेश :-

विज्ञापन संख्या-11/2019 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन **DEIC Manager-cum-Coordinator (RBSK)** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० (1)	रोल नम्बर (2)	अभ्यर्थियों का नाम (3)	चयनित कोटि (4)	पदस्थापन जिला (5)
1.	23103014	AMIT KUMAR	UR	MADHEPURA
2.	23403523	VIVEK KUMAR	UR	ARWAL
3.	23503611	UJJWAL KUMAR	UR	GAYA
4.	23103113	JITENDRA PRASAD	UR	SARAN
5.	22502781	ANSHU SINHA	UR	LAKHISARAI
6.	23503581	SAVITA KUMARI	UR	BEGUSARAI
7.	22502906	PRASHANT KUMAR	UR	BUXAR
8.	22502849	SHASHI	UR	EAST CHAMPARAN
9.	23503584	RUPALI VERMA	UR	DARBHANGA
10.	23403511	VIVEKANANDA	UR	KATI HAR
11.	22502937	RAJESH KUMAR SINGH	UR	ROHTAS
12.	23103112	KARISHMA	UR	BANKA
13.	22502750	AMAL SARSWAT	SC	NAWADA
14.	22502928	SHAYISTA IBRAHIM JEELANI	MBC	VAISHALI
15.	23403276	PRITI	SC	KAIMUR
16.	22502679	ANKITA RANJAN	MBC	JEHANABAD
17.	23403232	MRITUNJAY KUMAR	BC	GOPALGANJ
18.	22502857	SUDHANSHU KUMAR SUMAN	EWS	SHEIKHPURA
19.	23403386	PAWAN KUMAR	BC	SAHARSA
20.	22502870	TABISH ALI	MBC	KHAGARIA
21.	22502714	ANJALI RAI	BC	NALANDA
22.	22502823	RANJAN KUMAR MISHRA	EWS	WEST CHAMPARAN
23.	22502673	DEEPAK KUMAR GUPTA	MBC	MADHUBANI
24.	23103012	VIKASH KUMAR	BC	BHAGALPUR
25.	22502894	PRATIBHA PRABHA	BC	MUZAFFARPUR
26.	22502735	MEENAKSHI	SC	BHOJPUR
27.	23403514	SHAUKAT ALI	MBC	KISHANGANJ
28.	22502769	DEEPAK KUMAR AMLESH	SC	SHEOHAR
29.	22502640	MUSARRAT JAHAN	EWS	ARARIA
30.	22502741	NEELAM RANI	WBC	AURANGABAD
31.	23403251	MD ZAHID HUSSAIN ANSARI	MBC	SUPAUL
32.	22502932	PRASHANT KUMAR	MBC	SAMASTIPUR
33.	22502923	SAPNA SHAKTI	EWS	SIWAN

Page 1 of 3

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org



*[Handwritten Signature]* 23/7



क्र०	रौल नम्बर	अभ्यर्थियों का नाम	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
34.	22502710	MANOJ KUMAR	ST	SITAMARHI
35.	23403534	SONU KUMAR	SC	JAMUI
36.	22502745	KUNDAN KUMAR	SC	MUNGER
37.	23503670	RAVI SHANKAR SINHA	PH	PATNA
38.	22502641	BARUN KUMAR SINGH	FF	PURNIA

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 12 अगस्त, 2022 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे। जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायगी। जाँचोपरांत कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- योगदान के पश्चात् 1,000/- के 02 – भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति (सक्षम प्राधिकार) के साथ एकरारनामा करेंगे।
- सरकारी या अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP) में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- नवनियोजित DEIC Manager-cum-Coordinator (RBSK) को एकमुश्त मानदेय 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR Code- HSS.9 के क्रमांक 185.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उन्हें कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना/प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 03 पृष्ठ हैं एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित हैं।

ह०/-  
(संजय कुमार सिंह)





ज्ञापक : SHSB/GA/HR/3328/2018 (Part-I)/2616.

पटना, दिनांक: 23/07/2022

प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ ।
- अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, RBSK, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेशित है कि वे अपना योगदान संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को ससमय समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

कार्यपालक निदेशक

